कार्यालय वन मण्डल अधिकारी एवं पदेन क्षेत्रीय प्रबंधक म0प्र0 ईको पर्यटन विकास बोर्ड सामान्य वनमण्डल रायसेन (म0प्र0)

जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने सांची रोड रायसेन (म.प्र.)
E-mail - dfot.rsn@mp.gov.in (Phone & Fax No. 07482 - 222027)

क्रमांक/माचि/ईको/1264 रायसेन, दिनॉक 26/03/2018

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल रायसेन।

विषय :- म0प्र0 पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल द्वारा ग्राम खरबई तहसील व जिला रायसेन मे चिड़ियाटोल जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना के संबंध में।

संदर्भ :- मुख्य कार्यपालन अधिकारी म0प्र0 ईको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल का पृ0 पत्र क्रमांक/ईकोबोर्ड/2017/2451 दिनांक 06.11.2017 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/माचि/ईको/2299 दिनांक 19.12.2017

---- 00 ----

विषयांकित प्रकरण के संबंध में लेख है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी म0प्र0 ईको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल के पृ0 पत्र क्रमांक/ईकोबोर्ड/2017/2451 दिनांक 06.11.2017 से प्राप्त निर्देशानुसार सामान्य वन मण्डल रायसेन अंतर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम रायसेन के ग्राम खरबई में म0प्र0 ईको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल द्वारा खरबई पर्यटन केन्द्र मे चिड़ियाटोल जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने के संबंध में एफ.सी.ए. के तहत प्रस्ताव दिनांक 09.11.2017 को ऑन लाईन प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है। जिसका प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/OTHERS/30177/2017 दिनांक 09.11.2017 है।

म0प्र0 ईको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल द्वारा ऑन लाईन प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव मे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल (नोडल अधिकारी) द्वारा दिनांक 10.11.2017 को कमी चिन्हित की गई जिसकी पूर्ति दिनांक 17.11.2017 को की गई एवं दिनांक 20.11.2017 को पुनः कमियॉ चिन्हित की गई जिसकी पूर्ति दिनांक 28.11.2017 को की गई तथा दिनांक 29.11.2017 को कमियॉ चिन्हित की गई जिसकी पूर्ति अंतिम रूप से 07.12.2017 को इस कार्यालय द्वारा की गई जिसे नोडल अधिकारी द्वारा मान्य किया जा चुका है। जिसके र्धारित भाग-। मय सहपत्रों एवं प्रमाण पत्रों के संलग्न कर प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा आपको प्रस्तुत किया गया है। तदउपरान्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार म0प्र0 ईको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल द्वारा 150 हेक्टेयर आवेदित वन क्षेत्र जिसमे कक्ष क्रमांक आर.एफ.-337 में 4.300 एवं आर.एफ.-338 में 3.050 कुल 7.350 हेक्टेयर मे निर्माण कार्य इत्यादि तथा शेष बचे कक्ष क्रमांक आर.एफ.-337 में 115.700 हेक्टेयर एवं आर.एफ.-338 में 26.950 कुल 142.650 हेक्टेयर वृक्षारोपण आदि हेतु वन भूमि का चयन चिड़ियाटोल जू एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने हेतु संशोधित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रस्तुत किया गया है।

तदानुसार प्रकरण के संबंध मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत निर्धारित भाग-। मय सहपत्रों एवं प्रमाण पत्रों के संलग्न कर प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया प्रकरण के संबंध मे अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

वन मण्डलाधिकारी
एवं पदेन क्षेत्रीय प्रबंधक म0प्र0 ईको पर्यटन विकास
बोर्ड सामान्य वनमण्डल रायसेन (म0प्र0)

Office of the Divisional Forest Officer * Division Raisen (M.P.) No 1264 Date 26/3/18

पृ.क्रमांक / माचि / /265 रायसेन, दिनॉक 26 / 03 / 2018

प्रतिलिपि :–

1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी म0प्र0 ईको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल की ओर उनके पृ0 पत्र कमांक / ईकोबोर्ड / 2017 / 2451 दिनांक 06.11.2017 एवं इस कार्यालय का पृ0 पत्र कमांक / माचि / ईको / 2300 दिनांक 19.12.2017 के संबंध मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

2 मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त एवं पदेन महाप्रबंधक म0प्र0 ईको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल की ओर इस कार्यालय का पृ0 पत्र कमांक / माचि / ईको / 2300 दिनांक 19.12.2017 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
एवं पदेन क्षेत्रीय प्रबंधक म0प्र0 ईको पर्यटन विकास बोर्ड सामान्य वनमण्डल रायसेन (म0प्र0)

26/3